**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1489**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**निरोध केन्द्रों का निर्माण**

**1489. श्री तिरुची शिवाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) वर्ष 2019 तक निर्माण किए जा रहे निरोध केन्द्रों की संख्या, नाम और स्थान का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) वर्ष 2020 में कुल कितने निरोध केन्द्रों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है; और**

**(ग) ऐसे निरोध केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, किन-किन राज्यों में वे अवस्थित होंगे और वर्ष 2020 में ऐसे निरोध केन्द्रों के निर्माण की योजना क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ग): माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2005 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 310 में दिनांक 28.02.2012 के अपने आदेश के तहत यह निर्देश दिया था कि जिन विदेशी राष्ट्रिकों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाएगा और उनका निर्वासन/ प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें प्रतिबंधित गतिविधि के साथ उपयुक्त स्थान पर रखा जाएगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने माननीय न्यायालय के इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए दिनांक 07.03.2012 को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार उन अवैध आप्रवासियों/विदेशी राष्ट्रिकों को डिटेन करने के लिए डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनका उचित यात्रा दस्तावेजों के अभाव के कारण उनके मूल देश में प्रत्यावर्तन लंबित है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित किए गए डिटेंशन सेंटरों की संख्या का ब्यौरा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

\*\*\*\*\*\*